



अनिवार्य प्रकटीकरण

२०२५ – २०२६

(भाग – ख)

बजट एवं कार्यक्रम



राजीव गांधी विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

रोनो हिल्स, दोईमुख
अरुणाचल प्रदेश-७९१११२

बजट एवं कार्यक्रम

2.1 प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आवंटित बजट, सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए व्यय/वितरण (Disbursement) की रिपोर्ट [धारा 4(1)(b)(xi)]

2.1.1 लोक प्राधिकरण का कुल बजट

राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अधीन कोई सहायक अभिकरण (Subsidiary Agency), ऑफ-कैम्पस केंद्र अथवा संबद्ध महाविद्यालय नहीं है। अतः विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी एजेंसी को पृथक रूप से बजट आवंटित नहीं किया जाता।

विश्वविद्यालय का बजट, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (Receipts & Payments), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणीयुक्त उत्तर तथा बैलेंस शीट संबंधित वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट (Financial Report) में निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.1.2 प्रत्येक अभिकरण हेतु बजट, योजनाएँ एवं कार्यक्रम

विश्वविद्यालय के नियमित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत विभागाध्यक्षों (HoDs) तथा अनुभाग प्रभारियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन के पश्चात अनुमानित व्यय तथा अन्य व्ययों का समेकित बजट वित्त समिति (Finance Committee) एवं कार्यकारी परिषद (Executive Council) के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

i. आवर्ती (Recurring) मद के अंतर्गत स्वीकृत बजट की प्रति (यूजीसी द्वारा स्वीकृत) निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

ii. प्रत्येक वर्ष का कुल बजट एवं बैलेंस शीट वित्त समिति की कार्यवृत्त (Finance Committee Minutes) में उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/finance-committee>

iii. कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियाँ कार्यकारी परिषद की बैठक की कार्यवृत्त (Minutes of Executive Council Meetings) में उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/executive-council>

iv. विश्वविद्यालय की वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हैं—

- प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (Receipts and Payment Sheet)
- बैलेंस शीट (Balance Sheet)
- आय एवं व्यय विवरण (Income and Expenditure Sheet)
- अनुसूची-1 : परिसर/पूंजी निधि (Campus/Capital Fund)
- अनुसूची-2 : नामित/आरक्षित/न्यास निधि (Designated/Earmarked/Endowment Fund)
- अनुसूची-3 : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान (Current Liabilities & Provisions)
- अनुसूची-3A : प्रायोजित परियोजनाएँ (Sponsored Projects)

- अनुसूची-3C : यूजीसी/भारत सरकार से प्राप्त एवं उपयोग किए गए अनुदान
- अनुसूची-4 : वर्ष का मूल्यहास (Depreciation)
- अनुसूची-5 : आरक्षित/न्यास निधियों से निवेश
- अनुसूची-6 : अन्य निवेश
- अनुसूची-7 : चालू परिसंपत्तियाँ
- अनुसूची-8 : ऋण, अग्रिम एवं जमा
- अनुसूची-9 : शैक्षणिक प्राप्तियाँ
- अनुसूची-10 : अनुदान/सब्सिडी
- अनुसूची-11 : निवेश से आय
- अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज
- अनुसूची-13 : अन्य आय
- अनुसूची-14 : पूर्व अवधि की आय
- अनुसूची-15 : स्थापना व्यय
- अनुसूची-16 : शैक्षणिक व्यय
- अनुसूची-17 : प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय
- अनुसूची-18 : परिवहन व्यय
- अनुसूची-19 : मरम्मत एवं अनुरक्षण
- अनुसूची-20 : वित्तीय लागत
- अनुसूची-21 : अन्य व्यय
- अनुसूची-22 : पूर्व अवधि के मद
- अनुसूची-23 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
- अनुसूची-24 : संभावित देयताएँ एवं लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं तथा संसद द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.1.3 प्रस्तावित व्यय

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं एवं संसद द्वारा अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.1.4 प्रत्येक अभिकरण हेतु संशोधित बजट (यदि कोई हो)

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं एवं संसद द्वारा अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.1.5 किए गए व्यय (Disbursement) की रिपोर्ट एवं संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होने का स्थान

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.2 विदेशी एवं घरेलू भ्रमण

[फा. सं. 1/8/2012-IR दिनांक 11.09.2012]

2.2.1 बजट

यूजीसी से प्राप्त आवर्ती अनुदान से व्यय किया जाता है। यूजीसी से प्राप्त अनुदानों का विवरण विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.2.2 संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पदस्थ अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों के विदेशी एवं घरेलू भ्रमण

- (क) भ्रमण किए गए स्थान
- (ख) भ्रमण की अवधि
- (ग) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या
- (घ) भ्रमण पर किया गया व्यय

संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे उच्च अधिकारियों के भ्रमण हेतु विश्वविद्यालय में यूजीसी से प्राप्त आवर्ती बजट से व्यय का प्रावधान है। किन्तु गत वित्तीय वर्ष में इस मद के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

ऐसे भ्रमण जिनमें कोई वित्तीय व्यय नहीं हुआ, उनसे संबंधित जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/wp-content/uploads/2022/08/NERC-2022-Report.pdf>

2.2.3 क्रय (Procurement) संबंधी जानकारी

(क) निविदा सूचनाएँ (Notice), निविदाएँ (Tender), पूछताछ (Enquiries) एवं संशोधन (Corrigenda):

<https://rgu.ac.in/tender-list>

(ख) स्वीकृत निविदाओं तथा वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं का विवरण:

<https://rgu.ac.in/tender-list>

(ग) संपन्न कार्य अनुबंध (Works Contracts) तथा निष्पादन करें:

क्रय अनुभाग द्वारा जारी **Purchase Orders** की सूची निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/tender-list>

(घ) निविदा (Tender) एवं स्वीकृति-पत्र (LOA) से संबंधित दस्तावेज:

<https://rgu.ac.in/tender-list>

(ङ) विश्वविद्यालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अधिकांश खरीद **Government e-Marketplace (GeM)** एवं **भारत सरकार के e-Procurement Portal** के माध्यम से करता है।

2.3 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं किए गए वितरण की रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं

[धारा 4(1)(b)(xi)]

2.3.1 लोक प्राधिकरण का कुल बजट

राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अधीन कोई सहायक एजेंसी, ऑफ-कैम्पस केंद्र अथवा संबद्ध महाविद्यालय नहीं है। अतः यह प्रावधान विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता तथा किसी एजेंसी को पृथक बजट आवंटित नहीं किया जाता।

संसद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय का बजट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त **प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (Receipts & Payments)**, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर टिप्पणीयुक्त उत्तर तथा बैलेंस शीट भी प्रत्येक वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.3.2 प्रत्येक एजेंसी हेतु बजट तथा योजनाएँ एवं कार्यक्रम

नियमित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के दौरान विभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रभारियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरांत अनुमानित एवं वास्तविक व्यय सहित संकलित बजट रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं, अर्थात् **वित्त समिति** तथा **कार्यकारी परिषद्** के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

i. आवर्ती (Recurring) मद के अंतर्गत यूजीसी से प्राप्त बजट स्वीकृति की प्रति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

ii. प्रत्येक वर्ष का कुल बजट एवं बैलेंस शीट वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/finance-committee>

iii. कार्यकारी परिषद् द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियाँ कार्यकारी परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त में उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/executive-council>

iv. विश्वविद्यालय की वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हैं—

- प्राप्त एवं भुगतान विवरण (Receipts and Payment Sheet)
- बैलेंस शीट (Balance Sheet)
- आय एवं व्यय विवरण (Income and Expenditure Sheet)
- अनुसूची-1 : परिसर/पूजी निधि
- अनुसूची-2 : निर्दिष्ट/आरक्षित/न्यास निधि
- अनुसूची-3 : चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान
- अनुसूची-3A : प्रायोजित परियोजनाएँ
- अनुसूची-3C : यूजीसी/भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोग
- अनुसूची-4 : वर्ष का मूल्यहास
- अनुसूची-5 : आरक्षित/न्यास निधि से निवेश
- अनुसूची-6 : अन्य निवेश
- अनुसूची-7 : चालू परिसंपत्तियाँ
- अनुसूची-8 : ऋण, अग्रिम एवं जमा
- अनुसूची-9 : शैक्षणिक प्राप्तियाँ
- अनुसूची-10 : अनुदान/सब्सिडी
- अनुसूची-11 : निवेश से आय
- अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज
- अनुसूची-13 : अन्य आय
- अनुसूची-14 : पूर्व अवधि की आय
- अनुसूची-15 : स्थापना व्यय
- अनुसूची-16 : शैक्षणिक व्यय
- अनुसूची-17 : प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय
- अनुसूची-18 : परिवहन व्यय
- अनुसूची-19 : मरम्मत एवं अनुरक्षण
- अनुसूची-20 : वित्तीय लागत
- अनुसूची-21 : अन्य व्यय
- अनुसूची-22 : पूर्व अवधि की मर्दे
- अनुसूची-23 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
- अनुसूची-24 : संभावित देनदारियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं तथा संसद द्वारा अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.3.3 प्रस्तावित व्यय

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं तथा संसद द्वारा अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.3.4 यदि कोई हो, तो प्रत्येक एजेंसी का संशोधित बजट

विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं तथा संसद द्वारा अनुमोदित वित्तीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.3.5 किए गए वितरण की रिपोर्ट तथा संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होने का स्थान

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.4 विदेशी एवं घरेलू यात्राएँ

(फा. सं. 1/8/2012-IR दिनांक 11.09.2012)

2.4.1 बजट

यह व्यय यूजीसी से प्राप्त आवर्ती बजट से किया जाता है। यूजीसी से प्राप्त अनुदानों का विवरण विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>

2.4.2 संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे ऊपर के अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की विदेशी एवं घरेलू यात्राएँ

निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं—

- (क) भ्रमण किए गए स्थान
- (ख) भ्रमण की अवधि
- (ग) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या
- (घ) भ्रमण पर किया गया व्यय

संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे ऊपर के अधिकारियों की यात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में यूजीसी से प्राप्त आवर्ती बजट से व्यय का प्रावधान है। किन्तु पिछले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया।

जहाँ किसी यात्रा में कोई वित्तीय व्यय नहीं हुआ, वहाँ उससे संबंधित जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

क्र. सं.	प्रत्येक रियायत/अनुमति/प्राधिकरण हेतु पात्रता मानदंड	रियायत/अनुदान/अनुमति/प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया	रियायत/अनुमति/प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम एवं पता	रियायत/अनुमति/प्राधिकरण प्रदान किए जाने की तिथि
1	राजीव गांधी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के सभी वर्गों के वास्तविक (Bonafide) विद्यार्थियों (जिनमें अधिकांश एपीएसटी छात्र हैं) को स्नातकोत्तर, स्नातक, बी.एड. एवं बी.पी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट सूची तैयार करते समय उनके RGUCET/CUET (जो भी लागू हो) अंकों पर अतिरिक्त 10% वेटेज प्रदान किया जाएगा। अन्य यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण एपीएसटी (अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति) अभ्यर्थियों को 5% अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा।	प्रवेश के समय प्रवेश विवरणिका के अनुसार https://rgu.ac.in/page/admission-bulletin https://rgu.ac.in/info/employee-details	विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी विभिन्न प्रवेश सूचनाओं के अनुसार।	प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के जुलाई माह में विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचनाओं के अनुसार https://rgu.ac.in/notices-list
2	न्यूनतम पात्रता अंकों में छूट	प्रवेश के समय प्रवेश विवरणिका के अनुसार https://rgu.ac.in/page/admission-bulletin https://rgu.ac.in/info/employee-details	विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी विभिन्न प्रवेश सूचनाओं के अनुसार।	जुलाई से सितंबर (प्रत्येक प्रवेश सत्र) के दौरान विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचनाओं के अनुसार।
3	अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं दिव्यांग (PWD) अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट।	प्रवेश के समय प्रवेश विवरणिका के अनुसार https://rgu.ac.in/page/admission-bulletin	विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी विभिन्न प्रवेश सूचनाओं के अनुसार।	जुलाई से सितंबर (प्रत्येक प्रवेश सत्र) के दौरान विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचनाओं के अनुसार।
4	अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग	प्रवेश के समय प्रवेश विवरणिका के अनुसार।	विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी विभिन्न प्रवेश सूचनाओं के अनुसार।	जुलाई से सितंबर (प्रत्येक प्रवेश सत्र) के दौरान विभागाध्यक्षों/निदेशकों/परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचनाओं के अनुसार।

	(PwD) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट।		जारी विभिन्न प्रवेश सूचनाओं के अनुसार।	नियंत्रक द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचनाओं के अनुसार।
5	अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट (शिक्षक भर्ती)।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार।
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को छोड़कर अन्य सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार।
7	दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (Skill Test) से छूटा।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार।
8	अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांग (PwD) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को भारत सरकार एवं यूजीसी के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण एवं अन्य रियायतें प्रदान की जाएंगी।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती पोर्टल के अनुसार।	शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार।

2.5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) तथा लोक लेखा समिति (PAC) के अनुच्छेद [फा. सं. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]

2.5.1 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) तथा लोक लेखा समिति (PAC) के अनुच्छेद तथा उन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Reports - ATRs), जिन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

विश्वविद्यालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) तथा लोक लेखा समिति (PAC) के अनुच्छेद एवं उन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (ATRs), जिन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/annual-accounts-audit-reports>



राजीव गांधी विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
रोनो हिल्स, दोईमुख
अरुणाचल प्रदेश-७९१११२